

अन्तिम डिक्री बमुकदमें इब्दादाई
(ऑर्डर. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी जिला फलौदी
बइजलास:- गजेन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :-2023/129

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मदनसिंह पुत्र भैरूसिंह
2. जसवन्तसिंह पुत्र भैरूसिंह
3. रावतसिंह पुत्र भैरूसिंह
जाति राजपुत निवासी ईशरु
तहसील बापिणी जिला
फलौदी

1. उम्मेदसिंह पुत्र राणीदानसिंह
2. सुजानसिंह पुत्र राणीदानसिंह
3. सवाईसिंह पुत्र राणीदानसिंह
4. हमीरसिंह पुत्र राणीदानसिंह
5. रेंवतसिंह पुत्र राणीदानसिंह
6. विजयसिंह पुत्र राणीदानसिंह
7. धापु कंवर पत्नी राणीदानसिंह
8. पप्पु कंवर पुत्र राणीदानसिंह
9. सुगन कंवर पत्नी भैरूसिंह फौत के
कायम मुकाम :-
9.1. वादीगण संख्या 1,2,3
9.2. प्रतिवादीगण संख्या 10
10. स्वरूपसिंह पुत्र भैरूसिंह
11. अमरसिंह पुत्र किशोरसिंह
12. उगमसिंह पुत्र किशोरसिंह
13. मदनसिंह पुत्र किशोरसिंह
14. हमीरसिंह पुत्र किशोरसिंह
15. लादु कंवर पत्नी किशोरसिंह
16. कुम्भसिंह पुत्र प्रेमसिंह उर्फ पेपसिंह
फौत के कायम मुकाम
16.1. हरीसिंह पुत्र कुम्भसिंह
16.2. मुलसिंह पुत्र कुम्भसिंह
16.3. बधु कंवर पुत्री कुम्भसिंह
16.4. धुडी कंवर पुत्री कुम्भसिंह
16.5. सुरजों कंवर पुत्री कुम्भसिंह
16.6. उमा कंवर पुत्री कुम्भसिंह
सभी जाति राजपुत निवासी ईशरु
तहसील बापिणी जिला फलौदी।
17. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई
बैंक लि. बापिणी तहसील बापिणी
18. तहसीलदार बापिणी जिला
फलौदी। भूमिधारी सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे
व हाजरी अधिवक्ता नैनुराम विश्णोई मिनजानिब मुद्दई तथा मिनजानिब
मुद्दायलाय की ओर से अधिवक्ता अशोक कडवासरा पेश हुऐ। वाद में हुगम
दिया जाता है कि राजस्व ग्राम ईशरु के खसरा नम्बर 862 रकबा 1.4731
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 870 रकबा 1.9506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 रकबा



Prisid.
कलेक्टर बापिणी

